राजस्थान सरकार

कार्यालय भू–प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान, जयपुर

विमान भवन, गोपालबाड़ी, जयपुर, 302001 दूरभाष न. 0141–2373904 ई–मेल–scr-rj@nic.in

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (4) ख में उल्लेखित 17 बिंदुओं के संबंध में प्रकट की गयी सूचनाओं का विवरण

बिंदु संख्या	बिंदु का विवरण	वांछित सूचना का विस्तृत विवरण
1	अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य	भू–प्रबंध विभाग का कार्य भूमि का सर्वेक्षण करना, भू–अभिलेखों, नक्शों को तैयार करना तथा लगान निर्धारण करना है। वर्तमान में भू प्रबन्ध विभाग के विभागाध्यक्ष भू–प्रबंध आयुक्त होते है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा की सुपर टाईम स्केल के अधिकारी है जिन्हें निदेशक भू–अभिलेख की शक्तियाँ भी प्रदत है। भू–प्रबन्ध आयुक्त के कार्यों के सहयोग हेतु राजस्थान प्रशासनिक सेवा की सुपर–टाईम स्केल का एक अतिरिक्त भू–प्रबन्ध आयुक्त का पद स्वीकृत है। भू–प्रबन्ध आयुक्त एवं अतिरिक्त भू–प्रबन्ध आयुक्त का मुख्यालय विमान भवन गोपाल बाड़ी, जयपुर में स्थित है। [illegible] अलवर, उदयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, टॉक, सीकर, भरतपुर एवं कोटा है। जिसके प्रभारी भू–प्रबंध अधिकारी [illegible] सेवा की चयनित वेतन श्रृंखला के अधिकारी होते है। इन भू–प्रबन्ध अधिकारियों की सहायता हेतु सहायक भू–प्रबंध अधिकारियों के पद स्वीकृत है जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृंखला और राजस्थान तहसीलदार सेवा के अधिकारी होते है।
2	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य	1. भू प्रबन्ध आयुक्त (विभागाध्यक्ष) : भू–अभिलेख तैयारी के अर्न्तगत मानचित्र एव मिसल बन्दोबस्त अधिकार अभिलेख तैयार करना। (1) भू–अभिलेख तैयारी के अर्न्तगत मानचित्र एव मिसल बन्दोबस्त अधिकार अभिलेख तैयार करना। (2) अधीनस्थ भू–प्रबन्ध अधिकारियों का निर्धारित मापदण्डानुसार निरीक्षण करना। (3) शासकीय आदेशों का समयबद्ध क्रियान्वित करना। (4) भू प्रबन्ध अधिकारी, सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारीयों / कर्मचारियों के भ्रमण अवकाश एव वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों पर नियंत्रण करना। (5) शासन की और एवं शासन के विरुद्ध विधिक विवादों को नियन्त्रण एवं कार्यवाही करना। (6) अधीनस्थ अधिकारी / कर्मचारी के सेवा सम्बन्धी प्रकरणों, अनुशासनात्मक कार्यवाही, नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानान्तरण संबंधित मामलों का निपटारा एवं नियंत्रण करना। (7) विभिन्न अधिनियमों, नियमों, विनियमो, अधिसूचनाओ, परिपत्रों एव निर्देशो के अध्यधीन विभिन्न कर्तव्यों का पूरा करना। (8) भू–प्रबन्ध आयुक्त पदेन तौर पर जागीर आयुक्त है। इनकी सहायता के लिये अति भू–प्रबन्ध आयुक्त पदेन जागीर आयुक्त का पद स्वीकृत है। जागीर पुनर्ग्रहण सम्बन्धित निम्न कार्य सम्पादित किये जा रहे है। (1) मुआवजों दावे निर्णय करना। (2) निजी सम्पत्ति के दावे निर्णय करना। (3) उत्तराधिकारी नियुक्ति (4) मुआवजों के रूप में बोण्डो के पेटे भुगतान करना। 2. अतिरिक्त भू–प्रबन्ध आयुक्त : (1) कार्यालयाध्यक्ष के अधिकार (2) संस्थापन शाखा (भर्ती, प्रशिक्षण एवं प्रतियोगी परीक्षाये) : (क) कार्मिक व्यवस्था (ख) सेवाभिलेख (ग) सेवा निवृति आदेश (घ) अवकाश व अन्य (3) सामान्य शाखा (4) वाहनों की व्यवस्था एवं रख–रखाव (5) सर्वे एव भू–प्रबन्ध / भू–अभिलेख कार्य की योजना व व्यवस्था। (6) भू–प्रबन्ध कार्य का कार्यक्रम एव प्रगति [illegible] (7) रेन्टरेट रिपोर्ट की जांच, टिप्पणी तथा इससे सम्बन्धित [illegible] (8) विभागीय जांच (9) ड्राइंग शाखा

राजेन्द्र सिंह (RAS)
सहायक भू–प्रबंध अधिकारी (मुख्यालय)

3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	भू–प्रबन्ध आयुक्त विभागाध्यक्ष के रूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग एवं नियोक्तकर्ता अधिकारी के रूप मे राजस्थान सेवा नियमो के अधीन सम्बन्धी समस्त अधिकार भू–प्रबन्ध विभाग के समस्त संवर्ग के कर्मचारियों [illegible] नियम 14 मे वर्णित शक्तियाँ अधिरोपित करने, भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अध्याय 7 व 8 मे वर्णित समस्त अधिकारो के प्रयोग उपरोक्त अधिनियम द्वारा अधिरोपित शक्तियो का प्रयोग करते हुए अपील प्रकरणों सिविल प्रकरणों का निस्तारण करने एवं विभागीय कार्य को सुचारू रूप से सम्पादित करने हेतु नीति सबंधी निर्णय लेने व उनकी क्रियान्विति के लिये आवश्यक निर्देश दे सकते है। विभाग के भू–प्रबंध अधिकरियों के पास अपने कार्य के साथ–साथ पदेन राजस्व अपील अधिकारी का कार्यभार भी होता है। भू–प्रबन्ध अधिकारी के अन्तर्गत सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी के निर्णय की अपील सुनने एवं राजस्व अपील अधिकारी के अन्तर्गत राज. काश्तकारी अधि. 1955 एवं भू–राजस्व अधि 1956 के अर्न्तगत अधिरोपित शक्तियों का प्रयोग करने हेतु राजस्व प्रकरणों में निर्णय देने में सक्षम है।
4	अपनें कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापदंड	भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा किये गये कार्य से उत्पन्न समस्या के समाधान के लिऐ विभाग द्वारा नागरिक अधिकार पत्र प्रसारित किया हुआ है। जिसके अन्तर्गत विभाग की कार्य प्रणाली, काश्तकारान को दिये जाने वाले अभिलेख को आदिनांक करने के सम्बन्ध में एवं विभाग की रेकार्ड शाखा में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन एवं काश्तकारान द्वारा पुराने/नये अभिलेखों की नकलें चाहे जाने पर नियमानुसार शुल्क लिया जाकर नियमानुसार मुख्यालय में स्थापित एकल खिडकी से नकलें जारी की जाती हैं। इस सम्बन्ध में किसी काश्तकार या जनप्रतिनिधि को कठिनाई महसूस होती है, तो उसके निराकरण के लिए न्याय संगत कार्यवाही की जाती है।
5	अपने द्वारा या अपने नियत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियो द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए **प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख**	भू–प्रबन्ध आयुक्त एव अधीनस्थ अधिकारी व कर्मचारी जिन विधियों एव नियमों के तहत कर्तव्य सम्पादित करते है,उनमे प्रमुख अधिनियम/नियम निम्नलिखित है 1. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 2. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 3. राज. भू–राजस्व (सर्वे अभिलेख तथा बन्दोबस्त) सरकारी नियम 1957 4. राज. भू–राजस्व (भू–प्रबन्ध कर्मचारियॉ) राजस्व मण्डल नियम 1957 5. राज. काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 6. राज. सिविल सेवा आचरण नियम 1971 7. राज. सिविल सेवा (सी.सी.ए.) नियम 1958 8. राज. सेवा नियम 9. राज. जागीर भूमि सुधार एवं जागीर अधिग्रहण अधिनियम 1952 10. सामान्य वित्तीय लेखा नियम 11. राज. सेवा (पेन्शन) नियम 1996 12. विभागीय मैनुअल उपरोक्त अधिनियमों एवं नियमों के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये परिपत्रों, आदेशों एवं दिशानिर्देशों की पालना की जाकर विभागीय कार्यो का निष्पादन एवं सम्पादन किया जाता है।
6	ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण	भू–प्रवन्ध आयुक्त एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों में विभाग द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों व योजनाओं आदि के सम्बन्ध में अभिलेख जिला मुख्यालय स्तर पर उक्त कार्य विशेष को सम्पादित करने वाले अनुभागों में तथा अन्य अतिरिक्त अभिलेख जिला स्तर पर भू–प्रबन्ध अधिकारी कार्यालयों के अभिलेखागार में उपलब्ध है। भू–प्रबन्ध आयुक्त के अधीन जयपुर जिला एवं आस–पास के क्षेत्र का पुराना अभिलेख एवं नक्शे उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त भू–प्रबन्ध अधिकारियों के अधीन तहसीलों में जिला प्रशासन से प्राप्त रेकार्ड एवं जिस तहसील की भू–प्रबन्ध संक्रियाओं चल रही है, उन तहसीलों का तैयार किया जा रहा अभिलेख उपलब्ध रहता है। भू–प्रबन्ध आयुक्त के अधीन पुराने अभिलेख का अवलोकन (मुआयना) प्रार्थना पत्र नियमानुसार प्रस्तुत करने पर उसे रेकार्ड अवलोकन कराया जाता है। आवेदक द्वारा उस रेकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपी की मांग किये जाने पर आवेदक को नियमानुसार नकल जारी की जाती है। इस कार्य में सुगमता हेतु कार्यालय में एकल खिडकी की सुविधा आमजन के लिए उपलब्ध है।
7	किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान	भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा किये गये कार्य से उत्पन्न समस्या के समाधान के लिऐ विभाग द्वारा नागरिक अधिकार पत्र प्रसारित किया हुआ है। जिसके अन्तर्गत विभाग की कार्य प्रणाली, काश्तकारान को दिये जाने वाले अभिलेख को आदिनांक करने के सम्बन्ध में एवं विभाग की रेकार्ड शाखा में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन एवं काश्तकारान द्वारा पुराने/नये अभिलेखों की नकलें चाहे जाने पर नियमानुसार शुल्क लिया जाकर नियमानुसार नकल जारी की जाती है। इस सम्बन्ध म किसी काश्तकार या जनप्रतिनिधि को कठिनाइ महसूस होती है, तो उसके निराकरण के लिए नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। काश्तकारान एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में विभाग द्वारा किये गये कार्य में उत्पन्न समस्या समाधान के लिए विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में जन साधारण के विरूद्ध नियमों के विपरीत कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों पर सख्त कार्यवाही की जाती है तथा अधिकारी स्तर पर मुख्यालय पर प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेकर उसका निस्तारण किया जाता है। जिन शिकायत प्रकरणों का सम्बन्ध अधीनस्थ भू–प्रबन्ध अधिकारी दलों से होता हैं, उन अधिकारियों से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्तकर मुख्यालय स्तर पर परीक्षण किया जाकर निस्तारण किया जाता है तथा दोषी अधिकारी/कर्मचारीयों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जाती हैं।

राजेन्द्र सिंह (RAS)
सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी (मुख्यालय)

(10) रीडर शाखा।
(11) भू–प्रवन्ध अधिकारी कार्यालय के वार्षिक निरीक्षण।
(12) जागीर पुर्नगठन अधिनियम 1952 के अन्तर्गत कार्य करना।

3. वरिष्ठ लेखाधिकारी :
(1) जनलेखा समिति, सेवा निवृति के पेंशन परिलाभों संबंधी प्रकरणों का निस्तारण एवं वेतन स्थिरीकरण के मामले।
(2) लेखा एवं बजट नियंत्रण, बजट प्रस्तावों की निर्णायक समिति (BFC) का कार्य, DILRMP योजना के समस्त भुगतान एवं क्रय सम्बंधी एवं अन्य वित्तीय मामलों में सलाह प्रदान करना।
(3) आयोजना, आयोजना, भिन्न एवं विशेष केन्द्रीय सहायता से सम्बन्धित बजट का आकलन, संधारण एवं परीक्षण।
(4) महालेखाकार के अंकेक्षण प्रतिवेदन, निरीक्षण विभाग के आंतरिक जांच प्रतिवेदनों, भंडार के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन, ओ. बी. आइटम विनियोग लेखे, सी.ए.जी. प्रतिवेदन, प्रारूप प्रालेख इत्यादि तथा आंतरिक लेखा जांच दल का पर्यवेक्षण।
(5) जी.एफ. एण्ड ए.आर. और आर.एस.आर. से संबंधित राय एवं टिप्पणी देना अन्य विविध कार्य।
(6) लेखा शाखा का पर्यवेक्षण।
(7) आय व्यय लेखों का महालेखाकार से अंकमिलान संबंधी कार्य।

4 सहायक भू–प्रबंध अधिकारी :
निम्न शाखाओं के प्रभारियों के रूप में कार्य का पर्यवेक्षण करते है–
(क) लेखा भुगतान(प्रकोष्ठ) (ख) निरीक्षण (सदर मुन्सरिम) (ग) जांच एवं संस्थापन शाखा (घ) ज्यूडिशियल शाखा (ड) अभाव अभियोग (च) सामान्य कार्य (छ) भण्डार शाखा, पुस्तकालय एवं रिकार्ड ।

5 अति. प्रशासनिक अधिकारी :
संस्थापन एवं कार्यालय के अन्य सभी कार्यों की देखरेख करते है।

6 सदर मुन्सरिम :
भू–प्रबन्ध विभाग के मुख्यावास का यह अत्यन्त महत्वपूर्ण अनुभाग है राज्य में भू–प्रबन्ध की कार्यवाहियों को प्रारंभ करवाना, अधीनस्थ अधिकारियों की कठिनाईयों को दूर करना, समय–समय पर समुचित निर्देश जारी करना सामयिक कार्य प्रगतियों आंकते रहता तथा समय पर कार्य पुरा करवाना तथा भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा भेजे गये भूमि वर्गीकरण एवं लगान निर्धारण के प्रस्तावों की जाच करना इत्यादि इसी अनुभाग द्वारा किये जाते है।

7 भू–प्रबन्ध पार्टी का गठन :
भू प्रवन्ध अधिकारी अपने क्षेत्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। अपने अधीन नियोजित स्टॉफ को अनुशासन में रखते हुए, उनसे मानदंड के अनुसार पूरा काम लेने का उत्तरदायित्व मूलतः सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारियों का है जो भू–प्रबन्ध अधिकारी की निर्देशानुसार व मार्गदर्शन में कार्य करते हैं। सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारियो को कार्य के वितरण का दायित्व भू–प्रबंध अधिकारी का है, जो समय–समय पर उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकते है अपने अधीन नियोजित स्टाफ से निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक मापदंड अनुसार कार्य लेकर समयावधि में कार्य पूर्ण कराने व अनुशासन बनाये रखने का दायित्व सहायक भूप्रबंध अधिकारी का होता है, वर्तमान में भू–प्रबंध कार्य के लिये निम्न 11 दल गठित किये गये है, जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र. सं.	पार्टी का नाम	मुख्यावास
1	भू–प्रबन्ध अधिकारी,जयपुर	जयपुर
2	भू–प्रबन्ध अधिकारी,बीकानेर	बीकानेर
3	भू–प्रबन्ध अधिकारी,उदयपुर	उदयपुर
4	भू–प्रबन्ध अधिकारी,जोधपुर	जोधपुर
5	भू–प्रबन्ध अधिकारी,भीलवाड़ा	भीलवाड़ा
6	भू–प्रबन्ध अधिकारी,अलवर	अलवर
7	भू–प्रबन्ध अधिकारी,सीकर	सीकर
8	भू–प्रबन्ध अधिकारी,टोंक	टोंक
9	भू–प्रबन्ध अधिकारी,भरतपुर	भरतपुर
10	भू–प्रबन्ध अधिकारी,कोटा	[illegible]
11	भू–प्रबन्ध अधिकारी,अजमेर	अजमेर

राजेन्द्र सिंह (RAS)
सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी (मुख्यालय)

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनके दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप मे या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारें में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी विवरण।	राज्य सरकार के निर्देशानुसार विभाग स्तर पर भू-प्रबंध से संबधित कार्यों एव अन्य कार्यो की समीक्षा हेतु भू-प्रबंध आयुक्त महोदय द्वारा समय-समय पर कार्यो की प्रगति संबंधित बैठकों का आयोजन किया जाता है।

अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

क्र. सं.	नाम एवं पद	सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी आर.ए.एस.	सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी आर.टी.एस.
1.	श्री राजेन्द्र विजय भू-प्रबन्ध आयुक्त श्री राजेन्द्र सिंह 8890091642 अति. भू-प्रबन्ध आयुक्त	1. श्री राजेन्द्र सिंह 8890091642 2. श्री शशी जैन कृषि अनुसन्धान अधि	1. श्री अभिषेक यादव 2. श्री बालमुकुन्द गुप्ता
2.	श्री सुभाष महरियां आर.ए.एस. 9057220054 भू-प्रबन्ध अधिकारी,जयपुर 0141–2363107	1.श्रीमती सरोज ढाका 9829644409 2.श्री सुरेन्द्र कुमार जाट 9414390358	1. श्रीमती पायल जैन 8890836629 2. सुश्री शैलजा शेखावत 9828058896 3. श्री अमीलाल यादव 9828997205 4. श्री राकेश शर्मा
3.	श्री नखतदान बारहठ आर.ए.ए. जोधपुर (कार्यवाहक) 9414493111 भू-प्रबन्ध अधिकारी,जोधपुर 0291–2544854	1.श्रीमती कंचन राठौड़ 6375344080	1. श्री हिमांशु कछावा 9828636539
4.	श्री महावीर खराडी आर.ए.एस. 9414152588 भू-प्रबन्ध अधिकारी, बीकानेर 0151–2226021	1.श्रीमती सुशीला वर्मा 7014600980	1.श्रीमती राजकुमारी 2.सुश्री निधि गुप्ता
5.	श्रीमती अनीता मीणा आर.ए.एस. भू-प्रबन्ध अधिकारी,उदयपुर 0294–24155175	1. श्री वार सिंह आर.ए. एस.	1 श्री पर्वत सिंह
6.	श्रीमती मनीषा बेरवाल आरटीएस (कार्यवाहक) भू-प्रबन्ध अधिकारी,अजमेर 0145–2970133	–	1.श्रीमती मनीषा बेरवाल 9462359311 2.श्रीमती दीप्ति 7891369029 3.श्री भींवराज परिहार 8290249406
7.	श्रीमती अनीता मीणा आर.ए.ए. (कार्यवाहक) भू-प्रबन्ध अधिकारी,भीलवाड़ा 01482–230089	–	1. श्री शंकर लाल बलाई 9461531504 2. श्री अंकित सामरिया 9462404038 3. श्री राधेश्याम पाण्डे
	श्रीमती सुनीता यादव आर.टी.एस.	–	1. श्री हेमेन्द्र कुमार गोयल

राजेन्द्र सिंह (R.A.S)
सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी

8	ऐसे बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनके दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठक जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण।	राज्य सरकार के निर्देशानुसार विभाग स्तर पर भू-प्रबंध से संबंधित कार्यो एव अन्य कार्यो की समीक्षा हेतु भू-प्रबंध आयुक्त महोदय द्वारा समय-समय पर कार्यो की प्रगति संबंधित बैठकों का आयोजन किया जाता है।
9	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	

क. सं.	नाम एवं पद	सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी आर.ए.एस.	सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी आर.टी.एस.
1.	श्री राजेन्द्र विजय भू-प्रबन्ध आयुक्त श्री राजेन्द्र सिंह 8890091642 अति. भू-प्रबन्ध आयुक्त	1. श्री राजेन्द्र सिंह 8890091642 2. श्री शशी जैन कृषि अनुसन्धान अधि.	1. श्री अभिषेक यादव 2. श्री बालमुकुन्द गुप्ता
2.	श्री सुभाष महरिया आर.ए.एस. 9057220054 भू-प्रबन्ध अधिकारी,जयपुर 0141 2363107	1.श्रीमती सरोज ढाका 9829644409 2.श्री सुरेन्द्र कुमार जाट 9414390358	1 श्रीमती पायल जैन 8890836629 2 सुश्री शैलजा शेखावत 9828058896 3 श्री [illegible] यादव 9828997205 4 श्री [illegible]
3.	श्री नखतदान बारहठ आर.ए.ए. जोधपुर (कार्यवाहक) 9414493111 भू-प्रबन्ध अधिकारी,जोधपुर 0291-2544854	1.श्रीमती कंचन राठौड 6375344080	1. श्री हिमांशु कछावा 9828636539
4.	श्री महावीर खराडी आर.ए.एस. 9414152588 भू-प्रबन्ध अधिकारी, बीकानेर 0151-2226021	1.श्रीमती सुशीला वर्मा 7014600980	1.श्रीमती राजकुमारी 2.सुश्री निधि गुप्ता
5.	श्रीमती अनीता मीणा आर.ए.एस. भू-प्रबन्ध अधिकारी,उदयपुर 0294-24155175	1. श्री वार सिंह आर.ए.एस.	1 श्री पर्वत सिंह
6.	श्रीमती मनीषा बेरवाल आरटीएस (कार्यवाहक) भू-प्रबन्ध अधिकारी,अजमेर 0145-2970133		1 श्रीमती मनीषा बेरवाल 9462359311 2.श्रीमती दीप्ति 7891369029 3.श्री भींवराज परिहार 8290249406
7.	श्रीमती अनीता मीणा आर.ए.ए. (कार्यवाहक) भू-प्रबन्ध अधिकारी,भीलवाड़ा 01482-230089	–	1. श्री शकर लाल बलाई 9461531504 2. श्री अंकित सामरिया 9462404038 3. श्री राधेश्याम पाण्डे
	श्रीमती सुनीता यादव आर.टी.एस.	–	1. श्री हेमेन्द्र कुमार गोयल

राजेन्द्र सिंह (सिंह)
सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी

8.	(कार्यवाहक) भू–प्रबन्ध अधिकारी, अलवर 0144–2700585		9462929495 2. सुनिता यादव 9772950365 3. श्रीमती अजय 9314590909 4. सुश्री मोनिका शर्मा 5. श्री राजेश कुमार विजय 9414453956
9.	डा. अनुपमा टेलर आर.ए.एस. भू–प्रबन्ध अधिकारी.कोटा 0744–2326154	–	1. श्रीमती शिक्षा पवन 9829183831 2. श्री गणेश शर्मा 9414489144 3. श्री संदीप सक्सैना
10.	श्री राम किशोर मीणा आर.ए.एस. भू–प्रबन्ध अधिकारी.टोंक 01432–247392	–	01432–247392
11.	श्री राजवीर सिंह चौधरी आर.ए.एस 9414781167 भू प्रबन्ध अधिकारी सीकर 01572 256686		1 श्री भंवर लाल 9783854878 2. श्री हनुमान सिंह 9928003917 3 श्री ओम प्रकाश 9772359530 4 [illegible] 5 [illegible]
12	श्री दीनदयाल सारस्वत एएसओ (कार्यवाहक) भू–प्रबन्ध अधिकारी, भरतपुर 05644–222684		1 श्री अनिल कुमार 05644 222684 2 श्री वीरेन्द्र कदम 3 श्री दीनदयाल सारस्वत 4.रिक्त

10	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो।	इस विभाग में मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा भू–प्रवन्ध आयुक्त, अति भू–प्रबन्ध आयुक्त, भू–प्रबन्ध अधिकारी, सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, लेखाधिकारी, मुख्य वरिष्ठ विधि अधिकारी, सदर मुन्सरिम, निरीक्षक भू–मापक एवं लेखाकार कार्यालय अधीक्षक, निजी सहायक, शीघ्र लिपिक, कार्यालय सहायक, कनिष्ठ/वरिष्ठ सहायक, जमादार, च. श्रे. कर्मचारी आदि के पदों का सृजन किया गया है, जिन्हें राज्य द्वारा उनके पदों के लिये निर्धारित वेतन श्रंखलाओं के अनुसार मासिक वेतन का निर्धारण किया जाता है।
11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां, उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट	इस विभाग द्वारा वर्तमान में डी.आई.एल.आर.एम.पी. योजनान्तर्गत राजस्व रिकोर्ड का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिसका आवंटित बजट विवरण परिशिष्ट – 1 पर सलग्न है।
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित है।	भू–प्रबंध विभाग में किसी भी तरह के सहायिकी कार्यक्रम का निष्पादन नहीं किया जा रहा है।
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं की विशिष्टियां	भू–प्रबंध विभाग में अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञपत्रों या प्राधिकारों से संबंधित किसी भी कार्य का निष्पादन नहीं किया जा है।

राजेन्द्र सिंह (RAS)
सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी (मुख्यालय)

14	किसी इलैक्ट्रोनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हों।	कार्यालय भू–प्रबन्ध आयुक्त एवं अधीनस्थ कार्यालयों में इलेक्ट्रोनिक रूप में किसी प्रकार के अभिलेख की प्रतियों तैयार नहीं की जाती है। विभाग में पारम्परिक पद्धति से सीमाज्ञान प्रकरणों के अतिरिक्त ई.टी.एस. मशीन/अन्य मशीनों से सीमाज्ञान निर्धारित मापदंडों के अनुसार किया जाता है।
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित है।	भू–प्रबंध आयुक्त कार्यालय में जयपुर जिले के आस–पास का भू–प्रबंध से संबंधित रिकॉर्ड एवं नक्शों की नकल प्राप्त करने के लिए आमजन के लिए एकल खिडकी की व्यवस्था की गई है जहां आम नागरिक निर्धारित प्रारूप में आवेदन करके और निर्धारित शुल्क जमा करवाकर वांछित रिकॉर्ड की नकल प्राप्त कर सकते है, पुस्तकालय एवं वाचन कक्ष कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए मुख्यालय परिसर में कार्यालय समय पर उपलब्ध है।
16	लोकसूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम, और अन्य विशिष्टियां।	(देखें नीचे तालिका)

क्र. स.	पदनाम (लोक सूचना अधिकारी)	एस.टी.डी.	दूरभाष नं. कार्यालय	दूरभाष नं. निवास	फैक्स
	सहायक भू–प्रबंध अधिकारी मुख्यालय, जयपुर	0141	2361687	2394091	2373904
1.	भू–प्रबन्ध अधि. अजमेर	0145	2627475	2671658	2627475
2.	भू–प्रबन्ध अधि. टोंक	01432	247392	—	247392
3.	भू–प्रबन्ध अधि. सीकर	01572	256680	255901	256680
4.	भू–प्रबन्ध अधि. भीलवाड़ा	01482	264089	—	264089
5.	भू–प्रबन्ध अधि. बीकानेर	0151	2226021	2226022	2226021
6.	भू–प्रबन्ध अधि. भरतपुर	05644	222684	—	222684
7.	भू–प्रबन्ध अधि. जोधपुर	0291	2544854	2720597	2544854
8.	भू–प्रबन्ध अधि. उदयपुर	0299	2421338	2803332	2421338
9.	भू–प्रबन्ध अधि. कोटा	0744	2326154	2320117	2326154
10.	भू–प्रबन्ध अधि. अलवर	0144	2700585	2334742	2700585
11.	भू–प्रबन्ध अधि. जयपुर	0141	2363107	2294243	2363107

17	ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाएं।	इस विभाग द्वारा कृषकों के भूमि सम्बन्धी रेकार्ड को आदिनांक रखने हेतु तरमीम/सर्वेक्षण एवं पुनः सर्वेक्षण का कार्य समय–समय पर कराया जाता है। भू–प्रबन्ध विभाग किसी भी तहसील का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व संबंधित राजस्व एजेन्सी से आदिनांक रेकार्ड प्राप्त कर उसी आधार पर नवीन रेकार्ड और नक्शे तैयार कर रेकार्ड संबंधित एजेन्सी को संभलाता है, इस प्रकार राजस्व एजेन्सी से विभाग का तालमेल बना रहता है।

राजेन्द्र सिंह (RAS)
सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी

गु/ I

Office of the Settlement Commissioner and Nodal Officer (DILRMP), Rajasthan, Jaipur

Statement of Year wise Expenditure Updated upto 25-05-2022 (CSS + STATE) (Amount in Lac)

S.No.	Components	Sanction Amount	Realeased Amount In DILRMP			Year 2009 - 11	Year 2011 12	Year 2012 - 13	Year 2013 - 14	Year 2014 - 15	Year 2015 - 16	Year 2016 - 17	Year 2017 - 18	Year 2018 - 19	Year 2019- 20	Year 2020-21	Year 2021-22	Year 2022-23	Total Expenditure (7 to19)	Balance (6 - 20)	Saving (3 - 20)
			BY GOI	BY GOR	TOTAL																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 .	22
	Compuperization of L R																				
	1 Tehsil data centres	396.00	237.60	0.00	237.60	0.000	0.000	0.000	288.745	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	288.745	-51.145	107.255
	2 Inter Connectivity	280.00	168.00	0.00	168.00	0.000	5.660	0.000	0.000	0.000	51.230	94.436	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	151.326	16.674	128.674
1	3-District data entry	165.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.795	3.801	0.000	0.000	0.000	9.596	-9.596	155.404
	4 Digitization of Cadastral maps	2775.00	1043.00	0.00	1043.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	72.000	253.660	331.677	103.320	169.619	125.615	5.633	1061.524	-18.524	1713.476
	5 State Data centres	200.00	120.00	0.00	120.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	200.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	200.000	-80.000	0.000
	Total (Component-1)	3816.00	1568.60	0.00	1568.60	0.000	5.660	0.000	288.745	0.000	51.230	366.436	253.660	337.472	107.121	169.619	125.615	5.633	1711.191	-142.591	2104.809
2	Modern record Rooms	8475.00	7585.00	870.00	8455.00	0.000	446.460	167.020	2.520	4.000	6.775	841.134	0.000	1054.955	888.830	636.958	292.301	20.032	4360.985	4094.015	4114.015
3	Compuperization of SROs	8331.75	3566.98	588.24	4155.22	0.000	0.000	20.000	475.730	513.650	0.000	1165.200	708.260	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2882.840	1272.380	5448.910
4	Survey -Resurvey	76850.10	8039.20	6567.60	14606.80	0.000	0.000	0.580	0.000	0.000	0.000	5557.350	1107.440	851.209	1231.644	597.014	-1709.247	393.482	8029.472	6577.328	68820.628
	Training & Capacity Building (Infra)	392.12	235.27	0.00	235.27	0.000	0.810	38.560	167.130	0.000	-9.170	1.840	1.620	1.964	1.999	0.000	0.000	0.000	204.753	30.517	167.367
5	Training & Capacity Building (Digitization)	125.00	75.00	0.00	75.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.809	0.000	6.899	0.000	4.588	70.412	120.412
	Training & Capacity Building (Survey -Resurvey)	42.25	25.35	0.00	25.35	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.107	0.000	3.090	0.000	3.197	22.153	39.053
6	PMU	39.20	23.52	0.00	23.52	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	63.870	18.520	24.222	16.660	9.694	16.006	0.296	149.268	-125.748	-110.068
7	GIS LAB	172.00	103.20	0.00	103.20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	103.200	172.000
8	CORE GIS (Mobile App)	735.00	100.00	0.00	100.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	100.000	735.000
	Grand Total	98978.420	21322.120	8025.840	29347.960	0.00	452.930	226.160	934.125	517.650	48.835	7995.830	2089.500	2269.822	2249.170	1414.165	-1271.336	419.443	17346.294	12001.666	81632.126

[signature]

...सिंह (RAS)

...अधिकारी (मुख्यालय)